

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक: शिक्षा(भा.क)-15-क/ 26451-6/ मासिकता/ 2013-14 दिनांक 20/11

सेवा में

प्रबन्धक/ व्यवस्थापक/ अध्यक्ष

टाइम्स वर्ल्ड स्कूल,

प्लॉट नं०-1, इन्दिरा नगर, देहरादून।

विषय -

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रावधानों तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनिर्णय (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

मतौब/ महोदय।

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय टाइम्स वर्ल्ड स्कूल, प्लॉट नं०-1, इन्दिरा नगर, देहरादून को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (एंग्लो इण्डियन, अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अर्पित होगी -

- मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
- उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता संचालित करेगा।
- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इससे किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनिर्णय (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन दिया जाएगा।
(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-प्रतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं को अनुपातिक रूप से लागू या नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में प्रदत्त सूचियों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय को वार्षिक निरीक्षण को प्रमुख प्रशासक/सुनिर्देशकों के निर्देशन में प्रस्तुत होगा-

- विद्यालय-परिसर का होना, क्षेत्र,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा-उन्हों की कुल संख्या
- प्रधानाध्यापक-साह-क्याथालय-सह-मंडार कक्षा,
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा
- कक्षाहून भोजन के लिए एरोंई-घर,
- बाधारहित पहुँच,
- शिक्षण अभिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुरतकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अकैसा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 713 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर भौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिशिष्ट-घार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता पाँच वर्ष के लिए प्रदान की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पाँच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

नोट :- वर्ष-2015 में टी0ई0टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0 पी0 खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0स0/शिविर(मा0)/15-क/ /मान्यता/2013-14 तद्दिनों।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएँ विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

TIMES WORLD SCHOOL
School Plot No. 1
Indira Nagar,
Dehradun - 248001

(एस0 पी0 खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

Manager/Principal